



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board



E-File No. 3404781

No. 2022/M(C)/165/7_Statistical Manual

New Delhi, Date 13.09.2022.

PCMEs
All Zonal Railways

Sub: Revision of Manual of Statistical Instruction, Vol.-II (2003 Edition)


The Manual of Statistical Instructions was published way back in 2003. Its revision is under consideration at Board.

In this regard it is requested to submit suggestion for modifications in Manual of statistical instruction including suggestions related to modifications in **Statement No. 10 pertaining to Rolling Stock (Coaching)** in service covering both parts, i.e. instruction as well the formats.

Suggestions may please be submitted 19.09.2022 positively. These suggestions may also be sent through email at ddmcrb@gmail.com).

May please treat the matter as **"MOST Urgent"**

DA: As above


(सुमन कुमार तांती)
निदेशक / यांत्रिक इंजी. कोचिंग
रेलवे बोर्ड

C/-CRSEs all Zonal Railways for kind information and necessary action please.

.....रेलवे/Railway

विवरण-10
Statement-10

31 मार्च को काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (स्वामित्व के आधार पर)
Rolling Stock in service (on ownership basis) as on 31st March.....

ख-कोचिंग स्टॉक (बड़ी लाइन/मीटर लाइन) /B-Coaching Stock (B.G./M.G.)

मद Item	व्यौरा Description	बड़ी लाइन/B.G.		मीटर लाइन/M.G.	
		पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
1	2	3	4	5	6

I. सवारी डिब्बे :-

Passenger Carriages :

(i) सवारी डिब्बे (एक समान श्रेणी के) (ई.एम.यू. को छोड़कर)

Passenger Carriages (excluding EMUs) of uniform class

10ख.01 वातानुकूलित प्रथम श्रेणी

संख्या

10B.01 Air-conditioned First Class

No.

✓ 10ख.02 वातानुकूलित शयनयान

Berths

10B.02 Air-conditioned Sleeper 2 Tier

संख्या

शायिकाएं

No.

✓ 10ख.03 वातानुकूलित 3 टियर

Berths

संख्या

शायिकाएं

10B.03 Air-conditioned 3-Tier

No.

Berths

10ख.04 वातानुकूलित कुर्सीयान

संख्या

सीटें

10B.04 Air-conditioned Chair Car

No.

Seats

10ख.05 प्रथम श्रेणी

संख्या

शायिकाएं

सीटें

10B.05 First Class

No.

Berths

Seats

10ख.06 दूसरी श्रेणी

10B.06 Second Class

(क) शयनयान डिब्बे

संख्या

शायिकाएं

सीटें

(a) Sleeper Coaches

No.

Berths

Seats

(ख) अन्य डिब्बे

संख्या

सीटें

(b) Other Coaches

No.

Seats

Antubh
in station AC
NAC

W.F.C

50

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(ii)	10ख.07 सवारी डिब्बे (ई.एम.यू. को छोड़कर), - संयुक्त	संख्या			
	10B.07 Passenger Carriages (excl. EMUs)-Composites	No.			
	10ख.08 वातानुकूलित प्रथम श्रेणी	शायिकाएं			
→	10B.08 Air-conditioned First Class	Berths			
	10ख.09 वातानुकूलित कुर्सीयान	सीटें			
	10B.09 Air-conditioned Chair Car	Seats			
	10ख.10 प्रथम श्रेणी	शायिकाएं			
		सीटें			
	10B.10 First Class	Berths			
		Seats			
	10ख.11 दूसरी श्रेणी	शायिकाएं			
		सीटें			
	10B.11 Second Class	Berths			
		Seats			

<i>Elect</i>	(iii)	10ख.12 ई.एम.यू. ट्रेलर कोच	संख्या		
		10B.12 E.M.U. Trailer Coaches	No.		
			डाइविंग		
			Driving		
			नान-डाइविंग		
			Non-driving		
			कुल		
			Total		
			सीटें : -		
			प्रथम श्रेणी		
			दूसरी श्रेणी		
			Seats : -		
			First Class		
			Second Class		

Elect (iv) डी. ई. एम. यू.
Diesel Electric Multiple Unit

10ख. 13 डाइवर्स ट्रेलर कार

संख्या
सीटें:
प्रथम श्रेणी
दूसरी श्रेणी
No.
Seats : -
First Class
Second Class

Elect 10B.13 Driver's Trailer Car

10ख.14 ट्रेलर कार

संख्या
सीटें:
प्रथम श्रेणी
दूसरी श्रेणी
No.
Seats : -
First Class
Second Class

10B.14 Trailer Car

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(v) डी. एच. एम. यू.
Diesel Hydraulic Multiple Unit

10ख.15 ड्राइवर्स ट्रेलर कार

10B.15 Driver's Trailer Car

10ख.16 ट्रेलर कार

10B.16 Trailer Car

संख्या
सीटें:
प्रथम श्रेणी
दूसरी श्रेणी
No.
Seats : -
First Class
Second Class
संख्या
सीटें:
प्रथम श्रेणी
दूसरी श्रेणी
No.
Seats : -
First Class
Second Class

(vi) 10ख.17 कुल मदें (i) से (v)

10B.17 Total items (i) to (v)

10ख.18 वातानुकूलित प्रथम श्रेणी

→ 10B.18 Air-conditioned First Class

10ख.19 वातानुकूलित शयनयान

→ 10B.19 Air-conditioned Sleeper

10ख.20 वातानुकूलित कुर्सीयान

→ 10B.20 Air-conditioned Chair Car

10ख.21 प्रथम श्रेणी

→ 10B.21 First Class

10ख.22 दूसरी श्रेणी

→ 10B.22 Second Class

संख्या
No.
शायिकाएं
Berths
शायिकाएं
Berths
सीटें
Seats
शायिकाएं
सीटें
Berths
Seats
शायिकाएं
सीटें
Berths
Seats

(vii) 10ख.23 भोजनयान

→ 10B.23 Dining Cars

संख्या
सीटें
No.
Seats

(viii) 10ख.24 पर्यटन तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए अन्य डिब्बे

→ 10B.24 Tourist and other
Carriages for Public Use

संख्या
शायिकाएं
सीटें
No.
Berths
Seats

1	2	3	4	5	6
(ix)	10ख.25 राज्य सैलूनों तथा सैनिक यानों सहित विविध यान 10B.25 Miscellaneous Cars including State Saloons & Military Cars ✓	संख्या शायिकाएं सीटें No. Berths Seats			
(x)	10ख.26 कुल सवारी डिब्बे (कुल मदें 10ख.17 से 10ख.25) 10B.26 Total Passenger Carriages (Total items 10B.17 to 10B.25)	संख्या शायिकाएं सीटें No. Berths Seats			
II	अन्य कोचिंग डिब्बे :- Other Coaching Vehicles :-				
(i)	10ख.27 सामान एवं ब्रेकयान-संयुक्त 10B.27 Luggage-cum-Brake Vans-Composites	संख्या No. ✓			
(ii)	10ख.28 डाकयान 10B.28 Mail Vans	संख्या No. ✓			
(iii)	10ख.29 मोटर यान 10B.29 Motor Vans	संख्या No.			
(iv)	10ख.30 अश्व यान 10B.30 Horse Vans	संख्या स्टाल No. Stalls			
(v)	10ख.31 सामानयान 10B.31 Luggage Vans	संख्या No. ✓			
(vi)	10ख.32 विभागीय को छोड़कर विविध 10B.32 Miscellaneous excluding Departmental	संख्या No.			
(vii)	10ख.33 कुल अन्य कोचिंग वाहन (कुल मदें 10ख.27 से 10ख.32) 10B.33 Total Other Coaching Vehicles (Total items 10B.27 to 10B.32)	संख्या No.			
III	10ख.34 केवल सवारी गाड़ियों के लिए प्रयुक्त ब्रेक यान 10B.34 Brake Vans used exclusively on Passenger Services	संख्या No.			
IV	10ख.35 सार्वजनिक उपयोग के लिए कुल कोचिंग वाहन (कुल मदें 10ख.26+10ख.33+10ख.34) 10B.35 Total Coaching Vehicles for Public Use (Total items 10B.26 + 10B.33+10B.34)	संख्या No.			
V	10ख.36 रेल सेवा वाहन (अधिकारियों के डिब्बों सहित) 10B.36 Railway Service Vehicles (including Officers' Carriages)	संख्या शायिकाएं No. Berths			

इस विवरण में पिछले तथा चालू वर्ष के आंकड़े दिए जाएं/In this statement, figures for previous and current years are to be given.

अनुबंध/ANNEXURE

विवरण 10-ख का अनुबंध (अनुदेशों के पैरा 8 के अनुसार)
Annexure to Statement 10-B (Vide Para 8 of the Instructions)

वर्ष..... के दौरान चल स्टॉक (सवारी डिब्बों) में शुद्ध परिवर्धन
Net Addition to Rolling Stock (Coaches) during the year.....

आमान Gauge	प्रकार Type	परिवर्धन Addition		हटाए गए Deletion		शुद्ध (+) या (-) कालम (6-9-10) Net (+) or (-) (Cols. 6-9-10)				
		परिवर्धन के हिसाब से Addition Account	बदलाव के हिसाब से Replacement Account	अंतरण सहित अन्य Others including transfers	कुल Total	नाकारा घोषित Condemned	अंतरण सहित अन्य Others including transfers			
								गताशु Over-aged	निर्धारित समय से पूर्व नाकारा घोषित Under-aged	कुल Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**विवरण 10-काम में लाये जा रहे चल स्टॉक
(स्वामित्व के आधार पर)**

ख-कोचिंग स्टॉक (बड़ी लाइन / मीटर लाइन)

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि वह आगामी वित्त वर्ष की 30 जून तक सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को पहुँच जाए.
2. सूचना, बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन के लिए अलग-अलग भेजी जाएगी.
3. काम में लाए जा रहे कोचिंग स्टॉक में (स्वामित्व के आधार पर) वह सभी स्टॉक शामिल होगा, जो वस्तुतः लाइन पर है, उस बदले गये स्टॉक सहित जो अभी भी चालन में है या जिसे अतिरिक्त के रूप में अलग रख दिया गया है. अतः इसमें वह चल स्टॉक शामिल नहीं होगा जिसके लिए आर्डर दिया गया है अथवा जो निर्माणाधीन है, परिवहन के लिए नहीं सौंपा गया है अथवा बेचा गया अथवा नाकारा घोषित किया गया लेकिन प्राधिकृत सूची से न हटाया गया स्टॉक भी शामिल नहीं होगा. अन्य रेलों, सरकारी विभागों अथवा अपनी लाइन के निर्माण कार्यों के लिए दिया गया स्टॉक शामिल किया जाएगा, लेकिन अन्य रेलों इत्यादि से किराए पर लिए गए स्टॉक को छोड़ दिया जाएगा. उधार पर दिए गए स्टॉक की संख्या एक पाद-टिप्पणी में दिखाई जाएगी.
4. रेल कार ट्रेलर डिब्बे को साधारण सवारी डिब्बे समझा जाएगा. लेकिन बिजली ट्रेलर डिब्बों को मद 10ख.12 से 10ख.16 के सामने अलग से दिखाया जाएगा. ट्रेलर डिब्बे में सीटों की संख्या में खड़े होने का स्थान भी शामिल होगा जिसे पाद टिप्पणी में भी अलग से दर्शाया जाएगा.
5. मद 10ख.07 में ब्रेक वैन अथवा मेल वैन इत्यादि सहित सवारी/संयुक्त गाड़ियों को शामिल किया जाएगा. दूसरी श्रेणी में दर्शाई गई शायिकाओं की संख्या में ऐसे डिब्बों में दिये गये बैठने का स्थान भी शामिल होना चाहिये.
6. सैनिक कारों की संख्या मद 10ख.25 में शामिल की जाएगी.
7. अभ्युक्ति कॉलम में एक टिप्पणी दी जाएगी, जिसमें विविध मद (10ख.32) के अंतर्गत शामिल विद्युत्तरोधित तथा रेफ्रिजरेटर कारों की संख्या दर्शाई जाएगी.
8. वर्ष के दौरान सवारी डिब्बों में शुद्ध परिवर्धन का ब्यौरा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार आमान-वार तथा प्रकार-वार दिया जाएगा.
9. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नाकारा घोषित किए जाने के आंकड़े बोर्ड कार्यालय के यांत्रिक/बिजली निदेशालय को दिए गए आंकड़ों तथा महा प्रबंधक की वार्षिक रिपोर्ट के यांत्रिक/बिजली इंजीनियरी अध्याय में शामिल आंकड़ों से मेल खाते हैं.

**Statement 10 — Rolling Stock in Service
(on ownership basis)**

B-Coaching Stock (Broad Gauge / Metre Gauge)

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 30th June of the following financial year.
2. Information shall be furnished separately for the Broad and Metre Gauge.
3. The coaching stock in service (on ownership basis) shall include all stock actually on the line including that replaced but still running or laid aside as spare. Thus it shall not include the coaching stock ordered for or under construction, not handed over to traffic or stock sold or condemned but not removed from the authorised list. Stock lent to other Railways, other Government Departments or Home Line constructions shall be included, but that hired from other Railways etc., shall be excluded. The number of stock lent shall be shown in a foot-note.
4. Rail-car trailer coaches shall be treated as ordinary passenger carriages. Electric trailer coaches/Diesel trailer coaches shall, however be shown separately against item 10B.12 to 10B.16. Number of seats in a trailer coach shall include the standing accommodation which shall also be shown separately in a foot-note.
5. Item 10B.07 shall include passenger/composite carriages including those with brake vans or mail vans etc. Number of berths shown under second class shall include the seating accommodation provided in such carriages.
6. The number of military cars shall be included against item 10B.25.
7. A note shall be given in the remarks column showing number of insulated and refrigerator cars included under Miscellaneous item 10B.32.
8. The details of net addition to coaches during the year shall be furnished gauge-wise and type-wise in Annexure as per proforma enclosed.
9. It shall be ensured that the figures of condemnation tally with those supplied to the Mechanical/Electrical Directorate of Board's office and also as incorporated in Mechanical/Electrical Engineering chapter of General Manager's Annual Report.

10. विभिन्न प्रकार तथा आमान के चल स्टॉक के बदलाव का ब्यौरा नीचे लिखे गए अनुसार अनुबंध में भेजा जाएगा :
 - क) दुर्घटनाओं के कारण अथवा अवस्था के आधार पर नाकारा घोषित और कोडल अवधि के समाप्त होने से पहले बदला जाने वाला स्टॉक.
 - ख) बदलाव के आधार पर देय स्टॉक.
 - ग) बदलाव का पिछला बकाया.
 - घ) बदला गया लेकिन अभी भी काम में लाया जा रहा स्टॉक.
11. रेलें यह सुनिश्चित करेंगी कि इस विवरण में दिखाया गया स्टॉक रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान परिवर्धनों तथा निकासियों को हिसाब में लेने के बाद पिछले वर्ष के अंत में दिखाए गए स्टॉक से मेल खाता है. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विवरण में दर्शाया गया स्टॉक रेलवे बोर्ड के यांत्रिक/बिजली इंजीनियरी निदेशालय को भेजे गए आयु विवरण में दर्शाए गए स्टॉक से मेल खाता है.
12. जहां किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं, वहां आयु विवरण में ऐसी मदों को निकालने के लिए लागू अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा.
10. The details of replacement of rolling stock by various types and gauges shall be sent in Annexure in the following break-up :
 - a) Stock condemned and to be replaced before the expiry of codal life on account of accidents or on condition basis.
 - b) Stock becoming due on replacement basis.
 - c) Past arrears of replacement.
 - d) Stock replaced but still in service.
11. The Railways shall ensure that the stock shown in this statement tallies with that at the end of previous year after allowing for additions and withdrawals during the year under report. It shall also be ensured that the stock reported in this statement is reconciled with that reported in the Age Statement furnished to the Mechanical / Electrical Engineering Directorate of the Railway Board.
12. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions in force for working out similar items in the Age Statement shall be followed.

.....रेलवे/Railway

विवरण-10
Statement-10

31 मार्च को काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (स्वामित्व के आधार पर)
Rolling Stock in Service (on ownership basis) as on 31st March.....

घ - कोचिंग तथा माल स्टॉक (छोटी लाइन) / D - Coaching and Goods Stock (Narrow Gauge)

मद Item	व्यौरा Description	आमान/Gauge			
		0.762 मी./m.		0.610 मी./m.	
		पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year
1	2	3	4	5	6

I कोचिंग वाहन - संख्या
Coaching Vehicles-Number

- (i) 10घ.01 यात्री डिब्बे (जनता के उपयोग के लिए) (यूनिटों में)
10D.01 Passenger Carriages (for public use) (in units)
- श्रेणीवार सीटें
Seats by classes
- 10घ.02 पहली श्रेणी
10D.02 First Class
- 10घ.03 दूसरी श्रेणी
10D.03 Second Class
- (ii) 10घ.04 जनता के उपयोग के लिए ब्रेक यानों सहित अन्य कोचिंग वाहन
(यूनिटों में)
10D.04 Other coaching vehicles including brake vans for public use
(in units)
- (iii) 10घ.05 कुल कोचिंग वाहन
(यूनिटों में) (10घ.01+10घ.04)
10D.05 Total coaching vehicles
(in units) (10D.01+10D.04)
- (iv) 10घ.06 रेल सेवा वाहन (अधिकारियों के डिब्बों सहित)
(यूनिटों में)
10D.06 Railway service vehicles (including officers' carriages)
(in units)
- (v) 10घ.07 जनता के उपयोग के लिए रेल कार अनुयान (ट्रेलर)
(यूनिटों में)
10D.07 Rail car trailers for public use (in units)

अनुबंध/ANNEXURE

.....रेलवे/Railway

विवरण 10-घ का अनुबंध (अनुदेशों के पैरा 6 के अनुसार)
Annexure to Statement 10-D (Vide Para 6 of the Instructions)

वर्षके दौरान चल स्टॉक में (कोचिंग तथा माल डिब्बे) शुद्ध परिवर्धन
Net addition to Rolling Stock (Coaches & Wagons) during the year.....

चल स्टॉक	आमान	प्रकार	परिवर्धन/Addition				हटाए गए/ Deletion			शुद्ध (+) या (-)	
			परिवर्धन	बदलाव	अंतरण	कुल	नाकारा घोषित/Condemned			अंतरण	कॉलम
			लेखा	लेखा	सहित अन्य		गतावु	निर्धारित समय से पूर्व नाकारा घोषित	कुल	सहित अन्य	(7-10-11) Net (+) or (-)
Rolling Stock	Gauge	Type	Addition account	Replacement account	Others including transfers	Total	Over-aged	Under- aged	Total	Others including transfers	Columns (7-10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
सवारी डिब्बे	0.762 मी. 0.610 मी.										
Coaches	0.762 m. 0.610 m.										
माल डिब्बे	0.762 मी. 0.610 मी.										
Wagons	0.762 m. 0.610 m.										

**विवरण 10-काम में लाए जा रहे चल स्टॉक
(स्वामित्व के आधार पर)**

घ-कोचिंग तथा माल स्टॉक (छोटी लाइन)

अनुदेश

1. यह विवरण इस प्रकार भेजा जाए कि वह सचिव (सांख्यिकी), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली को आगामी वित्त वर्ष की 30 जून तक पहुँच जाए.
2. यह विवरण 0.762 मी. तथा 0.610 मी. छोटी लाइनों के लिए अलग-अलग भेजा जाएगा.
3. स्वामित्व के आधार पर काम में लाए जा रहे चल स्टॉक (डिब्बे तथा माल डिब्बे) में वह सभी स्टॉक शामिल होगा, जो वस्तुतः लाइन पर है, उस बदले गये स्टॉक सहित जो अभी भी चालन में है या जिसे अतिरिक्त के रूप में अलग रख दिया गया है. अतः इसमें वे डिब्बे और माल डिब्बे शामिल नहीं होंगे, जिसके लिए आर्डर दिए गए हैं अथवा निर्माणाधीन हैं, परिवहन के लिए नहीं सौंपे गए हैं अथवा बेचे गए या रद्द किये गये लेकिन प्राधिकृत सूची से नहीं हटाये गये हैं. अन्य रेलों, सरकारी विभागों अथवा अपनी लाइन के निर्माण कार्यों के लिए दिए गए स्टॉक को शामिल किया जाएगा लेकिन अन्य रेलों इत्यादि से किराए पर लिए गए स्टॉक को छोड़ दिया जाएगा. दोनों मामलों में, दिए गए स्टॉक की संख्या एक पाद-टिप्पणी में दर्शाई जाएगी.
4. मद 10घ.04 के अन्तर्गत ब्रेक यान, यात्री तथा मिश्रित गाड़ियों में अनन्य रूप से प्रयुक्त ब्रेक यान है तथा मद 10घ.11 में, मद 10घ.04 के अन्तर्गत शामिल यानों के अतिरिक्त ब्रेक यान हैं.
5. मद 10घ.18 में सार्वजनिक उपयोग के सभी माल डिब्बों की औसत वहन क्षमता दर्शाई जाएगी जो मद 10घ.15 + 10घ.16 के अनुसार कुल वहन क्षमता को, मद 10घ.10 + मद 10घ.11 के अनुसार माल डिब्बों की संख्या ब्रेक यानों को छोड़कर, से विभाजित करके निकाली जाएगी.
6. वर्ष के दौरान डिब्बों तथा माल डिब्बों में शुद्ध परिवर्धन का ब्यौरा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार अनुबंध में प्रकार-वार दर्शाया जाएगा.
7. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रद्द किए जाने के आंकड़े बोर्ड कार्यालय के यांत्रिक निदेशालय को भेजे गए आंकड़ों तथा महा प्रबंधक की वार्षिक रिपोर्ट के यांत्रिक इंजीनियरी अध्याय में शामिल आंकड़ों से मेल खाते हैं.
8. विभिन्न प्रकार के चल स्टॉक के बदलाव का ब्यौरा निम्नलिखित के अनुसार अनुबंध में भेजा जाएगा : -
क) दुर्घटनाओं के कारण अथवा अवस्था के आधार पर नाकारा घोषित और कोडल अवधि समाप्त होने से पहले बदला जाने वाला स्टॉक.

**Statement 10-Rolling Stock in Service
(on ownership basis)**

D—Coaching and Goods Stock (Narrow Gauge)

Instructions

1. This statement shall be sent so as to reach the Secretary (Statistics), Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi by 30th June of the following financial year.
2. Information shall be furnished separately for 0.762 m. and 0.610 m. Narrow gauges.
3. The Rolling Stock in service (coaches and wagons) on ownership basis shall include all stock actually on the line including that replaced, but still running or laid aside as spare. Thus it shall not include the coaches and wagons ordered for or under construction, not handed over to traffic or stock sold or condemned but not removed from the authorised list. Stock lent to other Railways, Government Departments or Home Line construction shall be included but that hired from other Railways etc., shall be excluded. In both the cases, the number of stock lent shall be shown in a foot-note.
4. Brake vans under item 10D.04 shall relate to brake vans utilised exclusively on passenger and mixed trains and under item 10D.11 other than those included under item 10D.04.
5. Item 10D.18 shall show the average carrying capacity of all wagons in public use and shall be worked out by dividing total carrying capacity as per item 10D.15 plus item 10D.16 by number of wagons as per item 10D.10 and 10D.11 excluding the number of brake vans.
6. The details of net addition to coaches and wagons during the year shall be furnished type-wise in Annexure as per proforma enclosed.
7. It shall be ensured that the figures of condemnation tally with those supplied to the Mechanical Directorate of Board's office and also as incorporated in Mechanical Engineering chapter of General Manager's Annual Report.
8. The details of replacement of Rolling Stock by various types shall be sent in Annexure in the following break up :
a) Stock condemned and to be replaced before the expiry of codal life on account of accidents or on condition basis.

- ख) बदलाव के आधार पर देय स्टॉक.
 - ग) बदलाव का पिछला बकाया.
 - घ) बदला गया लेकिन अभी भी काम में लाया जा रहा स्टॉक.
9. रेलें यह सुनिश्चित करेंगी कि इस विवरण में दिया गया स्टॉक रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान परिवर्धनों तथा निकासियों को हिसाब में लेते हुए पिछले वर्ष के अंत में दिखाए गए स्टॉक से मेल खाता है. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विवरण में रिपोर्ट किया गया स्टॉक रेलवे बोर्ड के यांत्रिक निदेशालय को भेजे गए आयु विवरण में दर्शाए गए स्टॉक से मेल खाता है.
10. जहाँ किसी मद को निकालने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं दिए गए हैं, वहाँ आयु-विवरण में इस प्रकार की मदों को निकालने के लिए लागू अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा.
- b) Stock becoming due on replacement basis.
 - c) Past arrears of replacement.
 - d) Stock replaced but still in service.
9. The Railways shall ensure that the stock shown in this statement tallies with that at the end of previous year after allowing for additions and withdrawals during the year under report. It shall also be ensured that the stock reported in this statement is reconciled with those reported in the age statement furnished to the Mechanical Directorate of the Railway Board.
10. Where no special instructions are given for working out any of the items, the instructions in force for working out similar items in the age statement shall be followed.